ज्ञापांक – 5926(E) दिनांक – 20/10/17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 18.10.2016 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण योजना के तहत् अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि0मी0 24.50 से 45.60 (कुल 21.10 कि0मी0) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17 के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागोय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव–स्ह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	नाबार्ड ऋण योजना के तहत् अकबरपुर–यदुनाथपुर पथ के कि0मी0 24.50 से 45.60 (कुल 21.10 कि0मी0) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016–17
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹4527.57 लाख। विभागीय पत्रांक–8292(एस) दिनांक 07.10.2016
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹3940.68 लाख। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन के पत्रांक–154(अनु0) दिनांक 03.03.2017
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹3919.43570 लाख।
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	24 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 04 months for Periodic Maintenance Works.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेडरिंग (CMBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	28.03.2017

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित दस संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) M/s Brijendra Kumar Singh
(2) M/s Shakti Construction
(3) M/s Birendra Prasad Singh
(4) M/s Bhardwaj Construction,
(5) D.B.S. Construction Pvt. Ltd.
(6) R.A.S. enterprises Pvt. Ltd.
(7) Mamrej Construction Pvt. Ltd.
(8) Rakesh Chaubey
(9) Narsingh Singh
(10) S-S Joint Venture

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 24.05.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा सभी दस निविदाकारों को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक–2597(ई0) दिनांक 25.05.2017 द्वारा संसूचित किया गया। तकनीकी बीड में सफल सभी निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम होने के कारण दिनांक 04.07.2017 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के अध्यक्षता में Draw of lots में D.B.S. Construction Pvt. Ltd., Rohtas को सफल घोषित किया गया। दिनांक 06.07.2017 को सम्पन्न बैठक विभागीय निविदा समिति के द्वारा D.B.S. Construction Pvt. Ltd. को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की दर से 10% कम है यानि ₹35,32,49,213.00 पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक–3366(ई0) दिनांक 07.07.2017 द्वारा संसूचित है।

5. मेसर्स बिरेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 03.07.2017 को विषयांकित निविदा के संबंध में परिवाद दिया गया जो निम्नवत् है :–

निवेदन है कि उपरोक्त कार्य का निविदा विभाग के द्वारा मंगाया गया था, जिसमें मैंने भी भाग लिया है, कल लॉटरी का दिन रखा गया है।

मेरा आपसे आग्रह है कि निविदा की कार्रवाई को रोकने की कृपा करें, क्योंकि उस Estimate में लगभग 8–10 करोड़ का अधिक राशि का Estimate में प्रावधान है, अधिक राशि का प्रावधान G.S.B., W.M.M. item में है।

महाशय, उपरोक्त पथ पूर्व में मैंने Improvement का कार्य 3.05 मी0 चौड़ाई में किया था। जिसमें G.S.B., W.M.M. की मुटाई 550mm था। जो पथ निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप था।

उसी पर फिर से G.S.B. W.M.M. करने का प्रावधान है, जो कि सर्वथा गलत है।

6. विभागीय पत्रांक–4125(ई0)अनु0 दिनांक 18.07.2017 द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग को छायाप्रति संलग्न करते हुए पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच करते हुये विस्तृत प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

7. पुनः मेसर्स बिरेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के समक्ष दिनांक 10.07.2017 को विषयांकित निविदा से संबंधित Estimate (BOQ) में 8 से 10 करोड़ के घोटाला का प्रावधान करने के संबंध में परिवाद दिया गया जो निम्नवत् है :–

पथ के estimate में घोटाले करने का इतनी सफाई से प्रावधान किया गया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इस कार्य का estimate बना कर A.A करा लिया गया तथा T.S भी Approve करा लिया गया परन्तु ना अधिक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा और ना ही मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार के स्तर पर इसको रोका जा सका।